प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0—पी0एम0जे0ए0वाई0,
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र,
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक —ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा— 431—D1 / 2057 लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषय : आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा स्पेशियलिटी हटाये जाने / कम किये जाने के अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विभिन्न जनपदों के सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा निजी कारणों—मानव संसाधन की कमी व अन्य से आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत स्पेशियलिटी हटाये जाने / कम किये जाने के अनुरोध हेतु साचीज को आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जबकि चिकित्सालय द्वारा योजना से इतर ऐसे केसेज का इलाज किया जा रहा है।

ऐसे प्रकरण पर स्टेट इम्पेनलमेन्ट कमेटी द्वारा संज्ञानित करते हुये अभिमत प्रदान किया गया कि चिकित्सालय स्वहित में स्वेच्छानुसार ऐसा कर रहा है। आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत पिक एण्ड चूज का प्रावधान नहीं है, यदि चिकित्सालय का स्वरूप (मानव संसाधन एवं अन्य) स्पेशियलिटी अनुरूप है तो उक्त स्पेशियलिटी को हटाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे प्रकरण को डी0ई0सी0 को संदर्भित कर समिति का अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त ही तद्नुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के उक्त विषयक आवेदनों को डी0ई0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करते हुये समिति की सहमति उपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

19.11.19

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक—ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा—431—D1 / 2019—20 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी